



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200



भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश / सुलह समिति / 2026

नीति परिपत्र सं. 2.1.94 / 2026 दिनांक 18th जुलाई, 2026

{(ई-ऑफिस फाइल सं. NHAI/CMD/CCIEExtn./2020-21 (कम्प्यूटर सं. 5472 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/ Policy Guidelines/ Conciliation Committee /2026

Policy Circular No. 2.1.94/ 2026 dated 18th July, 2026

{(Decision taken on E-Office File No. NHAI/CMD/CCIEExtn./2020-21 (Comp No. 5472)}

विषय: स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति-1 (सीसीआईई-1) के पुनर्गठन के संबंध में।

Sub: Reconstitution of Conciliation Committee of Independent Experts-1 (CCIE-1)
- reg:-

भाराराप्रा ने नीति परिपत्र संख्या 2.1.23/2017 दिनांक 02.06.2017 के माध्यम से संविदाकारों/ कंसेसनेयर्स/ परामर्शदाताओं के साथ करारों के तहत उत्पन्न होने वाले संविदात्मक विवादों के लिए एक सुलह और निपटान तंत्र स्थापित किया था। तत्पश्चात, नीति परिपत्र संख्या 2.1.23(1)/2017 दिनांक 19.06.2017 के माध्यम से सुलह के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) / कार्यप्रणाली के साथ उक्त परिपत्र में एक संशोधन जारी किया गया था।

NHAI vide Policy Circular No. 2.1.23/2017 dated 02.06.2017 established a Conciliation and Settlement Mechanism for Contractual Disputes arising under agreements with Contractors/ Concessionaires/ Consultants. Subsequently, an amendment to the said Policy Circular along with Standard Operating Procedure (SOP) / Methodology for Conciliation was issued vide Circular No. 2.1.23(1)/2017 dated 19.06.2017.

2. इसके बाद, नीति परिपत्र संख्या 2.1.48 दिनांक 09.04.2021 के माध्यम से सुलह के लिए एक संशोधित एसओपी/कार्यप्रणाली जारी की गई थी, जिसके बाद नीति परिपत्र संख्या 2.1.50 दिनांक 26.05.2021 के माध्यम से सीसीआईई को संदर्भ के लिए मामलों के प्रसंस्करण की समय-सीमा जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, डीआरबी द्वारा तय किए गए विवादों/दावों के सुलह के लिए एक अलग एसओपी नीति परिपत्र संख्या 2.1.80/2025 दिनांक 13.02.2025 के माध्यम से जारी की गई थी।

Thereafter, a modified SOP/ Methodology for Conciliation was issued vide Policy Circular No. 2.1.48 dated 09.04.2021 followed by timelines for processing matters for reference to CCIEs vide Policy Circular No. 2.1.50 dated 26.05.2021. Further, a separate SOP for Conciliation of Disputes/ Claims decided by DRB was issued vide Policy Circular No. 2.1.80/2025 dated 13.02.2025.

3. प्रक्रिया को और अधिक गति देने और डिजिटल बनाने के लिए, दिनांक 29.08.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से डेटालेक पोर्टल पर एक सुलह मॉड्यूल शुरू किया गया था। बाद के अनुभव के आधार पर, सीसीआईई के माध्यम से सुलह के लिए डेटालेक मॉड्यूल पर एक संशोधित एसओपी, नीति परिपत्र संख्या 2.1.81/2025 दिनांक 24.02.2025 के माध्यम से जारी की गई थी।

To further expedite and digitize the process, a Conciliation Module was introduced on Datalake Portal vide OM dated 29.08.2023. Based on subsequent experience, a revised SOP on Datalake Module for Conciliation through CCIE was issued vide Policy Circular No. 2.1.81/2025 dated 24.02.2025.

Contd.....2/-

4. दिनांक 15.06.2026 को सीसीआईई-1 का कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप, सीसीआईई-1 का नए सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

Consequent upon completion of term of CCIE-1 on 15.06.2026, CCIE-1 has been reconstituted with new Members as give below:

स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति-1 (सीसीआईई-1) Conciliation Committee of Independent Experts-1 (CCIE-1)		
क्र. सं. Sl. No.	सदस्यों के नाम / Name of the Members	सदस्यों का संक्षिप्त विवरण / Brief particulars of the Members
i.	डॉ. इंद्रजीत प्रसाद गौतम, आईएएस (सेवानिवृत्त), (जन्मतिथि- 02.04.1953) Dr. Indrajeet Prasad Gautam, IAS (Retd.), (DOB- 02.04.1953)	पूर्व सदस्य, भारत के लोकपाल Former Member, Lokpal of India
ii.	न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार सिंह बघेल, (जन्मतिथि - 12.11.1957) Justice Pradeep Kumar Singh Baghel, (DOB - 12.11.1957)	पूर्व न्यायाधीश, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय Former Judge, Hon'ble Allahabad High Court
iii.	श्री कृष्ण मुरारी सोनी, (जन्मतिथि - 08.07.1959) Sh. Krishna Murari Soni, (DOB - 08.07.1959)	एडीजी (सेवानिवृत्त), सीपीडब्ल्यूडी ADG (Retd.), CPWD

5. समिति /विशेषज्ञों के लिए व्यापक नियम व शर्तें और संदर्भ की शर्तें नीति परिपत्र दिनांक 02.06.2017 के अनुलग्नक-1 में निर्दिष्ट और परिपत्र दिनांक 09.04.2021 के माध्यम से संशोधित किए गए अनुसार होंगे।

The broad Terms & Conditions and Terms of Reference of the Committee / Experts shall be as specified in Annexure-1 of Policy Circular dated 02.06.2017 and amended vide Policy Circular dated 09.04.2021.

6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.


18/07/26

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.